उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय लखनऊ

अव्यस्क (Minor) बचत खाता (स्वयं संचालन) जमा योजना

1. प्रस्तावना :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपत्र संख्या : RBI/2025-26/26 DOR.MCS. REC.17/01.01.003/2025-26 दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के माध्यम से नाबालिगों के जमा खाता खोलने एवं खातों के संचालन हेतु संशोधित निर्देश निर्गत किये गये है। बैंक अपनी जोखिम प्रबन्धन नीति को ध्यान में रखते हुए कतिपय शर्तों के अधीन, जमा एवं निकासी की निर्धारित की गयी अधिकतम राशि के अनुसार नाबालिगों को, जो कम से कम 10 वर्ष की आयु के हैं, को स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे सकते है। तदकम में बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 17.06.2025 को पारित प्रस्ताव संख्या—14 में दी गयी स्वीकृति के कम में उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक द्वारा पत्रांक : बैंकिंग/ एफ—/ 2024—25/449 दिनांक 01.02.2025 द्वारा लागू की गयी डिपाजिट पालिसी के अनुसार नाबालिग अध्ययनरत छात्रों हेतु बचत खाता खोलने की योजना निम्नवत लागू की जाती है :—

2. उद्देश्य :

उक्त योजना का उद्देश्य 10 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के छात्रों की बेहतरी और उनके अच्छे भविष्य के निर्माण हेतु प्रारम्भ करना है। कम आयु से छात्रों में बचत करने की आदत डालने के लिए यह आदर्श योजना है, जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, छात्रों में विश्वास स्थापित करना, मूल्यवान बैंकिंग सेवायें प्रदान करना एवं एक सुरक्षित वित्तीय नीव सुनिश्चित करना है। इस योजना से बैंक छात्रों के सपनों को उड़ान देने में सहायक होगा।

3. पात्रताः

नाबालिग छात्र जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक किन्तु 18 वर्ष से कम है, उक्त योजना में अपना बचत खाता खोल सकेगें, किन्तु शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि खाता खोलने हेतु नाबालिग हस्ताक्षर करने में सक्षम है एवं प्रत्येक बार किये गये हस्ताक्षर में एक रूपता है।

4. बचत खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज :

- नाबालिग की नवीनतम फोटो।
- पहचान एवं पते के प्रमाण हेतु नाबालिग का आधार कार्ड।
- अभिभावक से बैंक द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर अवयस्क (Minor) बचत खाता (स्वयं संचालन) खोलने हेतु घोषणा पत्र।
- अभिभावक के पहचान एवं पते के प्रमाण हेतु आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली / हाउस टैक्स का बिल।

 नाबालिंग का पैन प्राप्त किया जाना प्राथमिकता होगी। पैन नम्बर न होने पर फार्म 60 / 61 भरवाया जायेगा, जिसको निर्धारित समयान्तर्गत आयकर विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5. बचत खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि

उक्त योजना में शून्य बैलेंस से खाता खोला जा सकेगा।

6. ब्याज दर :

उक्त बचत खाता योजना में बैंक द्वारा समय—समय पर बचत खातों हेतु निर्धारित ब्याज दर लागू होगी।

7. उक्त योजना की विशेषतायें :

- उक्त योजना में खोले गये बचत खातों हेतु आईएमपीएस,
 आरटीजीएस / एनईएफटी एवं यूपीआई की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जायेगी
 तथा उक्त से सम्बन्धित ट्रांजेक्शन पर सेवा प्रभार नहीं लिया जायेगा।
- उक्त योजना में खोले गये खातों में निःशुल्क एसएमएस की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- डेबिट कार्ड की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

8. बचत खाते में धनराशि जमा करने की अधिकतम सीमा :

बचत खाते में अधिकतम जमा की सीमा रू० 1.00 लाख होगी, जिसमें मासिक औसत बैलेंस रू० 1.00 लाख से अधिक न हो। शाखा द्वारा रू० 1.00 लाख की अधिकतम सीमा की निगरानी की जायेगी। यदि 30 दिन से अधिक समय तक बचत खाते में रू० 1.00 लाख से अधिक धनराशि रहती है तो शाखा द्वारा उक्त खाते को जीएल कोड—0030 में पोर्ट करते हुए सामान्य बचत खाते में परिवर्तित कर दिया जायेगा तथा खाते में प्रदान की जा रही निःशुल्क सुविधायें स्वतः समाप्त हो जायेगीं।

9. नामांकन की सुविधा :

नाबालिग, माता / पिता अथवा विधिक संरक्षक को खाते का नामिनी बना सकेगा।

10. अन्य निर्देश :

- उक्त योजना में खोले गये बचत खाते को नाबालिंग की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व संयुक्त खाते में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- खाताधारक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उक्त बचत खाता योजना पर प्राप्त हो रही निःशुल्क सुविधायें स्वतः निरस्त हो जायेगीं तथा शाखा द्वारा खाते को जीएल कोड-0030 में पोर्ट करते हुए सामान्य बचत खाते में परिवर्तित कर

- दिया जायेगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर खाताधारक से नवीनतम केवाईसी प्रपत्र एवं फोटो प्राप्त कर खाते का परिचालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- नाबालिग द्वारा बचत खाते के साथ—साथ स्वयं के संचालन से आवर्ती जमा एवं साविध जमा खाता भी खोले जा सकेगें। साविध जमा में अधिकतम रू० 1.
 ०० लाख तक की धनराशि जमा की जा सकेगी। आवर्ती जमा की मासिक किश्त अधिकतम रू० 8000.00 होगी। उक्त निवेशित जमाओं पर अर्जित ब्याज पर नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जायेगी।
- उक्त योजना हेतु सीबीएस में अलग जीएल कोड खोलते हुए बचत खाते खोले जायेगें।



Guardian Declaration for opening Self Operated Minor Account:

Declaration from Guardian:

That I have read, understood and hereby agree to abide by the "terms and conditions"of the declaration for 'Minor Operated' Account signed by my ward as a part of account opening formalities. In addition,

I, Declare, Confirm and Agree that:

- As on the date of filling the form, my ward is years of age. I confirm that my ward is not below 10 years of age. I authorize U.P. Cooperative Bank Ltd. to open the account in the name of my minor ward.
- 2) I agree, undertake to indemnify, defend and hold harmless U.P. Cooperative Bank Ltd and assigns from and against any and all liability including but not limited to liabilities to third parties, judgments, damages, losses, claims, costs and expenses, including attorney's fees and expenses arising from or related to: (i) a breach by the Guardian of its obligations under the terms and conditions contained herein (ii) the acts, errors, representations, misrepresentations, willful misconduct or negligence of Guardian in performance of the Guardians obligations under the terms and conditions contained herein (iii) the operations conducted in the account by the minor.
- 3) On my ward attaining the age of 18 years (becoming a major), the said account shall be frozen till the time my ward executes all documents/ completes fresh account opening formalities as required by U.P. Cooperative Bank Ltd to convert the Minor Operated account to a regular account.
- 4) I hereby authorise issuance of debit card and the applicable provisions of the Internet and mobile banking services, to my minor ward. I acknowledge that the issue and usage of any of the above services is governed by the terms and conditions in force from time to time as set by U.P. Cooperative Bank Ltd and I agree to abide by them.
- 5) I shall be responsible for all transactions undertaken by my ward during the period of his/her

minority.		
Guardian's Signatur	e:	
Name	:	
Date:	:	